समाज विकास माला

हमारा संविधान

सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन

समाज-विकास-माला : ७३

हमारा संविधान

भारत के बुनियादी कानून की जानकारी

लेखक

सोहनसिंह

संपादक

यशपाल जैन

१९५७

सस्ता साहित्य मंडल-प्रकाशन

काशक
मार्तण्ड उपाध्याय
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

पहला बार : १९५७
मूल्य
छः आना

मुद्रक
हिंदी प्रिंटिंग प्रेस
दिल्ली

समाज-विकास-माला

हमारे देश के सामने आज सबसे बड़ी समस्या करोड़ों आदमियों की शिक्षा की है। इस दिशा में सरकार की ओर से यदि कुछ कोशिश हो रही है तो वही काफी नहीं है। यह बड़ा काम सबकी सहायता के बिना पार नहीं पड़ सकेगा।

बालकों तथा प्रौढ़ों की पढ़ाई की तरफ जबसे ध्यान गया है, ऐसी किताबों की मांग बढ़ गई है, जो बहुत ही आसान हों, जिनके विषय रोचक हों, जिनकी भाषा मुहावरेदार और बोलचाल की हो और जो मोटे टाइप में बढ़िया छपी हों।

यह पुस्तक-माला इन्हीं बातों को को सामने रखकर निकाली गई है। इसमें कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। इन सबकी भाषा बड़ी आसान है। विषयों का चुनाव बड़ी सावधानी से किया गया है। छपाई-सफाई के बारे में भी विशेष ध्यान रखा गया है। हर किताब में चित्र भी देने की कोशिश की है।

यदि पुस्तकों की भाषा, शैली, विषय और छपाई में किसी सुधार की गुंजाइश मालूम हो, तो उसकी सूचना निस्संकोच देने की कृपा करें।

—मंत्री

पाठकों से

हर एक आजाद देश का अपना बुनियादी कानून होता है, जिसे वहां का संविधान कहते हैं। वहां का शासन उसीके अनुसार चलता है और उसीके अनुसार उस देश के निवासियों को अधिकार मिलते हैं। इन कानूनों की जानकारी बड़े महत्व की होती है।

इस पुस्तक में हमारे देश के ऐसे ही बुनियादी कानून की जानकारी दी गई है। सारी बात को लेखक ने इतने आसान ढंग से समझाया है कि मामूली-से-मामूली पाठक भी सहज ही समझ सकता है।

किताब बड़े काम की है। आशा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़वायेंगे।

—संपादक

हमारा संविधान

: १ :

सरकार को इससे क्या ?

आज पंडित रामचंद्र बड़े गुस्से में थे। उन्होंने सुना था कि सरकार ऐसा कानून बना रही है कि जो हरिजनों के साथ छुआछूत का व्यवहार करेगा, उसे कैद कर दिया जायगा। पंडितजी तेजी में आकर बोलते जाते थे—मेरी मर्जी है। मैं किसीको छुऊं या न छुऊं। सरकार को इससे क्या ? मेरी मर्जी है, मैं किसीके हाथ का पानी पिऊं या न पिऊं। सरकार को इससे क्या ? हम ऐसे कानून को कभी नहीं मानेंगे। डाल ले सरकार हमें जेल में, जितना डालना चाहे।

आते-जाते लोग पंडित रामचंद्र को गुस्से में बोलता सुनकर आस-पास इकट्ठे हो गये। भीड़ लग गई। चौधरी बुधसिंह भी जाते-जाते पंडितजी को ऊंची आवाज में बोलता सुनकर खड़े हो गये। पूछने लगे—पंडितजी, आज क्या बात है ?

पंडितजी ने कहा—चौधरीसाहब, तैयार हो जाइये। कल आपके घर के कुएं में नंदू मोची कुल्ले

करेगा।

चौधरी बुधसिंह हैरान होकर बोले--बंदू मोची मेरे कुएं में कुल्ले करेगा ? क्यों ?

पंडितजी ने कहा--कुल्ले नहीं और क्या चौधरीजी ? कल अगर उसे अपने कुएं से पानी भरने से रोकोगे तो सरकार आपको जेल भेज देगी। ऐसा कानून हमारी सरकार बना रही है ! अब तैयार हो जाइये।

चौधरी बुधसिंह ने लंबी सांस ली। बोले--पंडितजी, क्या करें, जमाने की चाल ही ऐसी है !

पंडितजी कड़ककर बोले--आग लगे जमाने को ! हम भी देख लेंगे जमाने की चाल !

चौधरी बुधसिंह ने कहा--पंडितजी, पांच-छः साल हुए, भारत के कोने-कोने से समझदार लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए। हमारे पंजाब के लोग भी उनमें थे। ब्राह्मण, बनिये, सिक्ख, मुसलमान और ईसाई सब आये। उन सबने यह फैसला किया कि आज से हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं मानी जायगी और यही फैसला उन्होंने हमारे संविधान में भी लिख दिया। जब ऐसा हुआ तब तो हमने बुरा नहीं माना, फिर आज हम क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं ?

भीड़ में से संतसिंह बोला--चौधरीजी, ये समझदार लोग कौन थे, जिन्होंने यह फैसला किया ? हमें

क्या जरूरत है कि उनके बनाये कानून को मानें ?

: २ :

कानून कैसे हों ?

चौधरी बुधसिंह ने कहा—जब १९४७ में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तो हम भारतवासियों को फैसला करना ही था कि हम कौन-से कानून मानें। अंग्रेजों के बनाये कानून को तो हम अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए हमें अपने नये कानून बनाने ही थे। देश की बड़ी जमात कांग्रेस ने और सरकार ने भारत के जो समझदार और राज-काज की बातों को जाननेवाले और कानून के विद्वान लोग थे, उनके जिम्मे यह काम सौंपा। उनका काम था कि वे ऐसे कानून बनायें जिनसे लोग सुखी रहें और दूसरे देशों में भारत का मान बढ़े।

इन विद्वानों को दुनिया भर के देशों के कानूनों की जानकारी थी। वे यह भी जानते थे कि लोग कैसे कानूनों को मानकर सुख और बड़ाई पा सकते हैं।

इन विद्वानों को मालूम था कि आदमी एक पेड़ की तरह है। पेड़ खुली हवा और खुली धूप में ही बढ़ता है और फूलता-फलता है। अगर उसे एक कमरे

में बंद कर दिया जाय तो वह सूख जायगा। यही हाल आदमी का है। किसी प्रकार के भी बंधनों में जकड़े हुए आदमी का मन कभी खिल नहीं सकता।

आदमी तभी खिल सकता है और आनंद का जीवन बिताता है, जब वह किसीके बंधन में न जकड़ा हो, जब उसे आने-जाने, बातचीत और काम-काज की आजादी हो।

आदमी कोई जंगल का जीव तो है नहीं। वह भी गांवों और शहरों में रहता है। गांवों और शहरों में कमजोर लोग भी होते हैं और ताकतवर भी। अगर हर आदमी को पूरी आजादी दे दी जाय और बलवान आदमी को किसीका डर न हो, तो कौन जाने बलवान आदमी कमजोर की सवारी करने में ही आनंद माने! पूरी-पूरी आजादी में बलवान की तो मौज हो गई, पर कमजोर की मौत। लेकिन हमारे विद्वानों को पता था कि ऐसी आजादी से थोड़े बलवान लोगों का जीवन सुखी हो तो हो, साधारण लोग सुखी नहीं रह सकते।

हरिजनों की ही बात ले लीजिये। हमारे गांव में हरिजन हैं, जिनको हम नीच समझते हैं। हमने इन पर बीसियों तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। कुएं पर मत चढ़ो, हमें मत छुओ, यह न करो, वह न करो।

हमारे देश में लाखों गांव हैं, जिनमें ऊंची जाति के लोग हमारी ही तरह हरिजनों को नीच समझते हैं और उन-पर तरह-तरह की पाबंदियां लगाते हैं, जिनके कारण बेचारे हरिजन दुखी हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि भारत के गांवों में जो पच्चीस करोड़ लोग बसते हैं, उनमें दस करोड़ के लगभग हरिजन तो सुख से हाथ धो ही बैठें।

और यदि विचार किया जाय तो बाकी के पंद्रह करोड़ भी कोई खास सुखी नहीं रह सकते। आजकल एकता का जमाना है। हरिजनों को अपने ऊपर लगी पाबंदियां हटाने के लिए एका तो करना ही होगा। अगर ऊंची जातिवाले मान जायं तो ठीक, नहीं तो फिर रोज का झगड़ा। और यह झगड़ा-टंटा भी एक जगह नहीं, भारत के लाखों गांवों में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो शक्ति हमें अपनी उन्नति, अपनी भलाई और अपनी गरीबी दूर करने में लगानी थी, वह हम हरिजनों को नीचा और गरीब रखने के लिए लगा देंगे। यह तो वही बात हुई कि न खेलेंगे और न खेलने देंगे। बाहर के देशों में बदनामी मुफ्त की होगी कि भारत के लोग आदमी को आदमी ही नहीं समझते।

ये सब बातें सोच-विचारकर हमारे उन विद्वानों ने कहा कि हरएक आदमी को आजादी तो हो,

लेकिन ऐसी आजादी न हो कि बलवान कमजोर के अधिकारों को छीन ले। क्या बलवान और क्या निर्बल, सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। इसलिए कानून ऐसे हों कि लोगों को उठने-बैठने और काम-काज की आजादी भी दें और एक-दूसरे में बराबरी भी रखें।

एक बात और भी है। यदि हर आदमी यह समझे कि मुझे बराबरी का हक है, मैं किसीसे कम नहीं हूं, और इस प्रकार अपनी अकड़ में रहे, दूसरों से मिलकर काम न करे, तो यह भी बुरी बात है। सबकी भलाई इसीमें है कि लोग आपस में इस प्रकार रहें मानो भाई-भाई हों। इसलिए उन विद्वानों ने यह कहा कि गांवों के, नगरों के और सारे भारत के लोग आपस में इस प्रकार रहें, जैसे एक बिरादरी होती है। इसीमें इनकी भलाई और नामवरी है।

: ३ :

विद्वानों का फैसला

इसलिए विद्वानों ने यह फैसला किया कि आगे के लिए हमारे भारत देश के कानून ऐसे हों, जो लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा आजादी दें, जो सबको बराबरी का अधिकार दें और जो सबको एक भाई-चारे में बांधें, जिससे बड़े-छोटे की इज्जत और देश का मान रहे।

उन्होंने कहा कि हमारा संविधान इन तीनों बातों के आधार पर होना चाहिए।

चौधरी बुधसिंह ये बातें कह रहे थे और लोग उनकी हां-में-हां मिला रहे थे। पंडित रामचंद्र ने यह देखा तो सोचा कि यहां तो हवा ही बदल गई। वह चुपके से वहां से खिसक गये। जब चौधरी बुधसिंह ने अपनी बात समाप्त की तो लोगों ने देखा कि पंडित रामचंद्र वहां नहीं हैं। तब वे सब खिल-खिलाकर हँस पड़े।

माधोरामजी बोल उठे—चौधरीजी, पंडित रामचंद्रजी खिसक ही गये हैं। अब कृपा करके हमारा स्वाद मत बिगाड़ो। पिछले शुक्रवार को भी आपने साधोंवाले कुएं पर यही संविधान की बात छेड़ी थी, पर बीच में ही रह गई थी। आज तो दो-चार बातें और बताओ।

माधोराम की बात सुनकर सभी एक साथ हां-हां कर उठे। सबने कहा—चौधरीजी, आज तो हम अपने संविधान की बातें जरूर सुनेंगे।

चौधरी बुधसिंह ने कहा—मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं। पर जो मोटी-मोटी बातें हर भारतवासी को जाननी चाहिए, वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। आप अब सुन लें। हां, तो विद्वानों ने केवल यही नहीं कहा कि हर भारतवासी को आजादी हो और बराबर के अधिकार

मिलें। उन्होंने यह भी बताया कि किस-किस बात की आजादी कहां तक हो और किस-किस बात में बराबरी के अधिकार हों।

चौधरीजी संविधान की बातें समझा रहे हैं

आजादी की ही बात लीजिये। उन्होंने हमारी कानून की पोथी में लिख दिया कि हर भारतवासी को इन सात बातों की आजादी हो :

१. लिखने और बोलने की। हां, यह आजादी इस हद तक नहीं होगी कि आप दुनिया को मिट्टी-पलीद करें।

२. भारतवासी आपस में आजादी से मिल-जुल सकते हैं। पर इस आजादी का यह मतलब नहीं कि वे अमन और शांति को भंग करने के लिए इकट्ठे होकर जो चाहें, वह करें।

३. भारतवासी आपस में मिलकर जैसा चाहें संगठन करें।

४. जो जिसका जी चाहे, उस धर्म को माने। सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जायगी और किसीके धर्म के कारण उसपर कोई कर नहीं लगाया जायगा। यदि कोई धर्मावलंबी अपने स्कूल खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार भी खुल्लमखुल्ला कर सकते हैं, पर किसी दूसरे धर्म को बुरा-भला नहीं कह सकते।

५. आप भारत-भर में जहां चाहें आ-जा सकते हैं और जहां जी चाहे रह सकते हैं।

६. अपनी मर्जी के अनुसार जायदाद रखें, बेचें या खरीदें।

७. जो जी चाहे रोजगार करें, पर कुछ रोजगार ऐसे भी हैं, जिनके लिए खास तरह की पढ़ाई-लिखाई जरूरी है।

भारत का कोई भी कानून किसी भी भारतवासी से ऊपर बताई गई आजादी को छीन नहीं सकता। यदि

आप कानून की हद के अंदर रहें तो कोई पुलिसवाला या सरकारी नौकर आपको कुछ कह नहीं सकता।

: ४ :

बराबरी के अधिकार

इसी प्रकार संविधान में बराबरी के अधिकार भी सात प्रकार के लिखे हैं :

१. सरकार की निगाह में हर जाति और हर धर्म के स्त्री-पुरुष एक-जैसे हैं। सरकारी नौकरियों में ऐसा भेद-भाव नहीं किया जायगा कि यह पुरुष है या स्त्री, हिंदू है या किसी दूसरे धर्म को माननेवाला। इसी प्रकार स्कूल, हस्पताल या जो दूसरे स्थान सरकार ने लोगों की भलाई के लिए खोले हैं या जिनको सरकार सहायता देती है, उनमें भी, इस प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं किया जायगा।

२. मंदिर, दूकान, सड़क, कुएं आदि स्थानों पर जहां साधारण लोग आ-जा सकते हैं, वहां किसीको हक नहीं है कि किसीको आने-जाने से रोके। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान में छुआ-छूत के लिए कोई स्थान नहीं, और यह बात संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दी गई है।

३. सरकार कोई पदवी नहीं देगी और न कोई

भारतीय किसी दूसरे देश की सरकार से कोई पदवी ले सकता है।

४. बेगार बंद कर दी गई है। हां, यदि सरकार को लोगों की भलाई के लिए लोगों से सेवा लेनी पड़े तो वह बिना भेदभाव के ले सकती है।

५. बच्चों और स्त्रियों के साथ भी इज्जत और बराबरी का व्यवहार होगा। चौदह वर्ष से कम उमर के बालकों से मजदूरी करवाना मना है।

६. अल्प-संख्यावालों को अपनी बोली, लिखावट या रीति-रिवाज कायम रखने या अपने स्कूल-कालेज खोलने का उतना ही अधिकार है, जितना बहु-संख्यावालों को। सरकार भी स्कूलों-कालेजों को सहायता देते समय अल्प-संख्यावालों के साथ भेद-भाव नहीं करेगी।

७. भारत में कानून सबके लिए एक-जैसा है, कानून की छत्रच्छाया सबके लिए है। बड़ी-से-बड़ी कचहरी का दरवाजा हर अमीर और गरीब के लिए एक-जैसा खुला है।

सब सुननेवाले वाह-वाह कर उठे। उन्होंने कहा—ये तो सब सतजुगी राज की बातें हैं।

चौधरी बुधसिंह ने कहा—हां, है तो यह सत-जुगी संविधान। अभी और सुनिये—उन विद्वानों ने यह

भी सोचा कि लोगों को केवल अधिकार दे देने से सतजुगी राज नहीं हो सकता। एक बेरोजगार, भूखों मरते आदमी से यह कहना कि तुम्हें आजादी है, जहां तुम्हारा जी चाहे, आओ-जाओ, जो मर्जी हो रोजगार करो या न करो, उस बेचारे के साथ मजाक करना है। सतजुगी राज तभी हो सकता है जबकि लोगों को पूरी आजादी हो और खाने-पीने को भी मिले, उनकी पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम हो और उनका आपस में प्रेम बढ़े।

: ५ :

सरकार के लिए हिदायतें

विद्वानों ने संविधान में हर आनेवाली भारतीय सरकार के लिए हिदायतें दीं कि वह ऐसे काम करे और ऐसे कानून बनाये, जिनसे लोगों के शरीर नीरोग और मन ऊंचे हों। इस उद्देश्य के लिए चौदह हिदायतें दी गई हैं :

१. हर भारतवासी का—चाहे वह पुरुष हो या स्त्री—निर्वाह भली प्रकार हो। इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाय कि इस निर्वाह के लिए उसे रोजगार मिले। गांवों में लोगों के रोजगार के लिए अकेले या सहकारी ढंग के काम-धंधे शुरू किये जायं। यदि कोई बुढ़ापे,

बीमारी या किसी दूसरे कारण से, अपना पेट पालने में असमर्थ हो, तो भी उसका निर्वाह होता रहे—चाहे सरकारी खर्च पर ही सही।

२. सरकार खेती और पशुओं की देख-भाल और उनकी अच्छी नस्लें बढ़ाने के उत्तम ढंग चलाये और गो-वध को रोके।

३. सरकार का पहला काम है कि हर किसीको खाने-पीने को अच्छा मिले और ऐसी व्यवस्था हो कि हरएक का स्वास्थ्य अच्छा रहे। बालकों, काम करनेवालों और माताओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाय। लोगों को शराब और दूसरे नशों से बचाया जाय।

४. जिन बच्चों या किशोरों के सिर पर कोई न हो या न होने के बराबर हो, उनको बुरी आदतों और बुरे लोगों से बचाया जाय।

५. एक-जैसे कामों के लिए पुरुषों और स्त्रियों को एक-जैसा वेतन मिले।

६. लोगों में धन का बंटवारा ऐसा हो कि जिससे सबको लाभ हो। ऐसा न हो कि कुछ थोड़े-से लोग तो अमीर हों और बाकी जनता गरीब रहे।

७. संविधान लागू होने के दस साल के भीतर, चौदह साल तक के बच्चों की पढ़ाई जरूरी और सरकारी खर्च से हो।

८. लोगों को अपना खाली समय भली प्रकार बिताने के लिए, आपस में मिलने-बैठने के लिए और अपनी योग्यता और हुनर बढ़ाने के लिए पूरी सहूलियतें हों।

९. सरकार सुंदर और ऐतिहासिक स्थानों और वस्तुओं की संभाल रखे।

१०. सरकार पिछड़ी जातियों की शिक्षा और संपत्ति बढ़ाने के लिए विशेष प्रबंध करे और उन्हें दूसरों की धांधली से बचाये।

११. सारे भारत में एक ही जैसे कानून लागू हों।

१२. सरकार गांवों में पंचायतें कायम करे।

१३. सरकार न्याय-विभाग को अपने दूसरे विभागों से अलग रखे ताकि सरकारी अधिकारी जजों पर दबाव डालकर जनता के साथ अन्याय न कर सकें।

१४. सरकार राष्ट्रों के बीच सुलह-सफाई बढ़ाने के लिए प्रयत्न करे, ताकि राष्ट्रों के आपसी झगड़े लड़ाई द्वारा नहीं, मध्यस्थों द्वारा तय किये जा सकें।

अब तो संतसिंह भी कह उठा—जीते रहो, संविधान बनानेवालो, धन्य हो!

संतसिंह की बात पर सबने कहा—धन्य हैं, भई, धन्य हैं। सचमुच धन्य हैं!

चौधरी बुधसिंह ने कहा—अभी धन्य-धन्य न करो। याद है, पिछले महीने साधों के कुएं पर बैठकर

सयानों ने क्या फैसला किया था ? उन्होंने फैसला किया था कि नये कूल की नींव खोदने और दीवारें उठाने के लिए गांव के हरएक घर का एक आदमी एक दिन मुफ्त काम करेगा, पर जब काम का दिन आया तब कोई तो पहुंच पाया और कोई न भी पहुंचा। और जो पहुंच पाये, उनमें से भी कोई कुदाल-फावड़ा लाया और कोई खाली हाथ ही आ गया। बात असल में यह थी कि हमने न तो यह काम किसी एक आदमी को सौंपा था और न यह कहा था कि यह काम इस तरह होगा। इसीसे सारी परेशानी हुई।

: ६ :

हमारे राष्ट्रपति

संविधान बनानेवाले विद्वान सचमुच ही विद्वान थे। उन्होंने सारे भारत की हुकूमत चलाने का काम एक आदमी को सौंपा, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। आपको पता ही है कि आजकल डाक्टर राजेंद्रप्रसाद हमारे राष्ट्रपति हैं। विद्वानों ने संविधान में यह भी लिख दिया कि राष्ट्रपति किस ढंग से सारी हुकूमत का काम चलायगा।

राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा अधिकारी है। सरकार का सरदार और सारी फौजों का सरदार। इसके

हस्ताक्षरों से राज्यपाल और हाई कोर्ट के जज बनते हैं। इसीके हस्ताक्षरों से देश की सबसे बड़ी अदालत—सर्वोच्च न्यायालय—के जज बनते हैं। इसीके हस्ताक्षरों से सरकारी हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल करनेवाला सबसे बड़ा अधिकारी, भारत-सरकार का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी और सारे देश में चुनाव का प्रबंध करनेवाला अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसीके हस्ताक्षरों से सरकारी नौकरियों के लिए आदमी चुननेवाले अधिकारी बनते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो फांसी चढ़ते आदमी को अपनी आज्ञा से बचा सकता है।

लेकिन अधिकार का नशा भी अजीब नशा है। यह भले-से-भले आदमी को भी बिगाड़ देता है। जब इतने अधिकार हों, जितने कि हमारे राष्ट्रपति के हैं, तब तो कहना ही क्या!

इसलिए संविधान बनानेवालों ने ऐसा संविधान बनाया कि राष्ट्रपति निडर होकर अपना राज-काज तो चला सके, परंतु उसे यह भी ध्यान रहे कि सच्चे बादशाह तो भारत में बसनेवाले लोग ही हैं। उन्होंने भारत में बसनेवाले उन करोड़ों पुरुषों और स्त्रियों के हाथों में ऐसी न दीखनेवाली डोरें दीं जिनका एक सिरा तो उन करोड़ों स्त्री-पुरुषों के हाथों में था और दूसरा सिरा राष्ट्रपति की कमर से बंधा था। एकाध

डोर के खींचने से तो कोई खास बात नहीं बनती, पर यदि बहुत-से भारतवासी मिलकर अपनी डोरें खींचें, तो खोटे रास्ते पर चलनेवाला राष्ट्रपति भी दशहरे के रावण की तरह नीचे आ गिरे।

: ७ :

न दीखनेवाली डोर

यह न दीखनेवाली डोर जो बताई है, यह वोट है। हर इक्कीस वर्ष का भारतीय वोट दे सकता है। इन वोट देनेवालों की वोटों से ही विधान-सभाओं के सदस्य चुने जाते हैं। जिसके वोट अधिक हों, वही सदस्य चुना जाता है।

हमारा देश चौदह भागों में बंटा हुआ है। हर भाग को प्रदेश या राज्य कहते हैं। जैसे पंजाब प्रदेश या बंबई प्रदेश। इसके अलावा दिल्ली या मणीपुर जैसे छः इलाके और हैं जिनका प्रबंध सीधे भारत-सरकार ही करती है, पर बाकी के चौदह राज्यों में अपनी-अपनी समस्याओं पर विचार करने के उनकी अपनी-अपनी विधान-सभाएं हैं। किसी राज्य की विधान-सभा के कितने सदस्य होते हैं, किसीके कितने। बिहार, बंबई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में विधान-सभाओं के अतिरिक्त

एक-एक कौंसिल भी है। पर वोट देनेवाले सीधे विधान-सभा के सदस्यों को ही चुनते हैं।

इसी प्रकार सारे भारत की मिली-जुली समस्याओं पर विचार करने के लिए भी दो सभाएं हैं—एक लोक-सभा, जिसके पांच-सौ सदस्य होते हैं। ये सारे भारत के वोट देनेवालों की वोटों से बनते हैं। दूसरी सभा का नाम राज्य सभा है। इसके दो-सौ पचास सदस्य होते हैं। इन दो-सौ पचास सदस्यों में से बारह तो राष्ट्रपति देश के गिने-चुने लोगों में से नामजद करता है। बाकी के दो-सौ अड़तीस सदस्य अलग-अलग संख्या में, अलग-अलग राज्यों की विधान-सभाएं चुनती हैं।

संसद भवन

विधान-सभा और लोक-सभा के सदस्य पच्चीस वर्ष से ऊपर की उमरवाले भारतीय हो सकते हैं, और राज्य-सभा और कौंसिलों के सदस्य तीस वर्ष से ऊपर की उमरवाले।

भारत की लोक-सभा के सदस्य चुनने के लिए देश को लगभग उतने ही भागों में बांटा जाता है, जितने सदस्य चुनने हों। हरएक भाग को हलका (क्षेत्र) कहते हैं। किसी-किसी हलके से दो-दो सदस्य भी चुने जाते हैं और इन हलकों के हरएक वोटर की दो-दो वोटें होती हैं, जिसके वोट अधिक हों, वह सदस्य चुना जाकर लोक-सभा में बैठता है।

राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्य भी इसी प्रकार अलग-अलग हलकों से अधिक वोटों के हिसाब से चुने जाते हैं।

इस प्रकार हर पांच साल के बाद वोटर लोक-

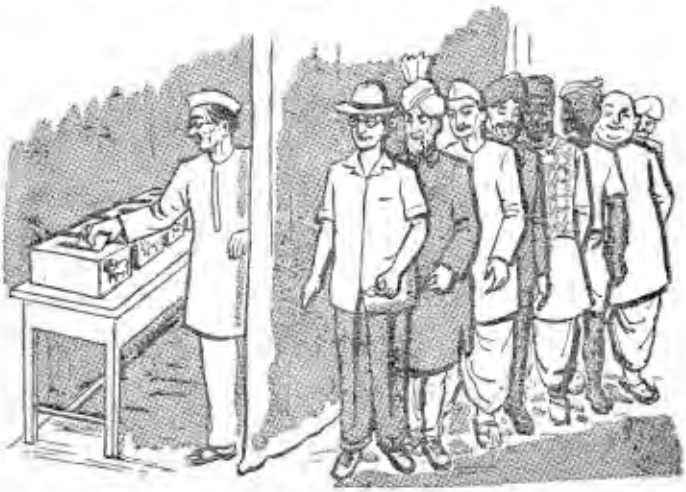

वोट डालना

सभा और अपने-अपने राज्य की विधान-सभा के सदस्य चुनते हैं।

सारे देश को विधान-सभा और लोक-सभा के हलकों में बांटना और हर हलके में वोटरों के नामों की सूची बनाना, एक बहुत बड़ा काम है।

देश-भर में यह काम एक कमीशन के जिम्मे है। यह हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति ही इस कमीशन के अधिकारी को नियुक्त करता है।

: ८ :

हमारी समस्याएं यों सुलझाई जाती हैं

हमारे देश की समस्याएं वैसे ही सुलझती हैं, जैसे लोक-सभा और राज्य-सभा सुलझायं। हमारे लिए लोक-सभा के फैसले से बड़ा और कोई फैसला नहीं। उसी प्रकार राज्यों में भी अपनी-अपनी समस्याएं वैसे ही सुलझाई जाती हैं, जैसेकि उनकी विधान-सभाएं सुलझायं। लोक-सभा, राज्य-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्य ही देश का राष्ट्रपति पांच सालों के लिए चुनते हैं। लोक-सभा और राज्य-सभा चाहें तो किसी खोटे रास्ते पर चलनेवाले राष्ट्रपति को गद्दी से उतार सकती हैं।

तो देख लीजिये, हम भारतवासी अपनी विधान-

सभा और लोक-सभा के सदस्य चुनते हैं। यही सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। और यही सदस्य, चाहें तो, उसे गद्दी से अलग कर सकते हैं। डोरवाली बात याद है न ?

लोक-सभा और राज्य-सभा किस प्रकार अपना काम करें, किस प्रकार कानून पर विचार करें, और किस प्रकार कानून पास करें, ये सब हिदायतें हमारे संविधान में लिख दी गई हैं।

लोक-सभा और राज्य-सभा का एक बड़ा काम देश की आमदनी और खर्च का है। संविधान में लिखा है कि सरकार लोगों से वही टैक्स ले सकती है, जिसकी कानून आज्ञा दे। कानून के खिलाफ कोई टैक्स सरकार वसूल नहीं कर सकती। इसलिए देश के राज-काज पर जो खर्च होना होता है, साल के शुरू में ही उसपर विचार किया जाता है और उस खर्च को पूरा करने के लिए जिस-जिस ढंग से लोगों से पैसा वसूल करना हो, वह साल के शुरू में सोच-विचारकर तय कर लिया जाता है।

: ६ :

प्रधान मंत्री

हुकूमत के सारे काम राष्ट्रपति आप नहीं करता। जब नये चुनावों के बाद लोक-सभा की बैठक होती है,

तो राष्ट्रपति लोक-सभा के सदस्यों में से एक को प्रधान मंत्री बना देता है। बाकी के मंत्री राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह से बनाता है। यह मंत्रिमंडल ही सारे राज-काज का जिम्मेदार होता है। आजकल हमारे मंत्रि-मंडल के नेता, हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं।

राष्ट्रपति चाहे तो प्रधान मंत्री तथा दूसरे मंत्रियों को हटा भी सकता है। पर यह इतनी आसान बात नहीं है। मंत्रिमंडल प्रधान मंत्री सहित अपने कामों के लिए लोक-सभा के सामने जिम्मेदार है। यदि लोक-सभा को मंत्रिमंडल पसंद न हो तो राष्ट्रपति की मजाल नहीं कि उस मंत्रिमंडल को रख सके।

सच बात तो यह है कि राष्ट्रपति उसीको

प्रधान मंत्री बना सकता है, जिसके पक्ष में लोक-सभा के अधिकतर सदस्य हों। प्रधान मंत्री प्रायः देश की किसी बड़ी पार्टी का नेता होता है और इस पार्टी के सदस्य राज्य-सभा और विधान-सभाओं के सदस्य भी होते हैं। यदि राष्ट्रपति इस प्रधान मंत्री से टक्कर ले बैठे तो उसकी अपनी ही हानि होती है, क्योंकि जैसाकि हमने बताया था, लोक-सभा और विधान-सभाएं चाहें तो राष्ट्रपति को गद्दी से उतार सकती हैं।

हमारे संविधान की ये खूबियां हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधान मंत्री को उसके ओहदे से हटा दे, यदि वह चाहे तो लोक-सभा की बैठक को उठा दे, यदि चाहे तो लोक-सभा के नये सिरे से चुने जाने की आज्ञा दे दे। पर दूसरी ओर यदि जोरदार प्रधान मंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को उसके ओहदे से हटा सकता है।

मतलब यह है कि न तो राष्ट्रपति हद से आगे बढ़ सकता है और न प्रधान-मंत्री। यह बात इसलिए है कि सच्चा बादशाह न तो राष्ट्रपति है और न प्रधान मंत्री। बादशाही तो करोड़ों भारतवासियों की मिली-जुली बादशाही है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों को इस न दिखलाई देनेवाले, पर सच्चे, बादशाह का डर जरूर रखना पड़ता है।

: १० :

राज्यों में

जो शक्ति सारे भारत में लोक-सभा और राज्य सभा की है, वही शक्ति राज्यों में विधान-सभाओं और कौंसिलों की है। वहां प्रधान मंत्री की जगह मुख्य मंत्री और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल समझ लीजिये। विधान-सभाओं और कौंसिलों के काम का तरीका भी वही है, जो लोक-सभा और राज्य-सभा का है।

माधोराम कहने लगा—चौधरीजी, एक तरफ तो हम कहते हैं कि सारे भारतवासियों का हमारा एक भाई-चारा है और दूसरी ओर हमने डेढ़-डेढ़ ईंट की बीस-एक मस्जिदें बना रखी हैं। संविधान बनानेवालों को क्या अच्छा लगा कि उन्होंने बीस मस्जिदों को विधान-सभाएं, कौंसिलें और राज्यपाल सौंप दिये? आखिर उनका काम भी तो वही है, जो लोक-सभा का है।"

चौधरी बुधसिंह ने कहा—सौभाग्य से हमारा देश बहुत बड़ा है और भगवान ने इसमें कई रंग भरे हैं। इस देशरूपी राग के अनेक स्वर हैं। इस देश में तरह-तरह की बोलियां हैं, तरह-तरह के रीति-रिवाज हैं और देश-देश के अलग-अलग भागों की अपनी-

अपनी समस्याएं हैं। जिनकी समस्याएं हैं, यदि वे ही उन्हें सुलझायं, तो ठीक है। इसीमें लोगों की भलाई है। इसी प्रकार उनके विचार ऊंचे हो सकते हैं।

और शक्ति एक ऐसी चीज है जो जितने अधिक हाथों में बंटी रहे, उतनी ही देश की भलाई है। इसलिए संविधान बनानेवालों ने हर राज्य को अपनी विधान सभा दी और राज्य के अपने खर्चे चलाने के लिए कुछ टैक्स या आमदनी के साधन सौंप दिये। फिर संविधान के संबंध में जो बातें ध्यान में आ सकती हैं, विद्वानों ने उन सबको तीन भागों में बांट लिया है। पहला भाग वह है जिसपर भारत की लोक-सभा और राज्य-सभा ही विचार कर सकती हैं और कानून बना सकती हैं। जैसे—फौजें, बाहर के देशों के साथ संबंध, रेल, डाक-तार आदि।

दूसरे भागों में उन्होंने वे बातें रखीं, जिनपर राज्यों की विधान-सभाएं और कौंसिलें ही विचार कर सकती हैं और कानून बना सकती हैं। जैसे—स्कूल, हस्पताल, पुलिस आदि।

तीसरे भाग में उन्होंने वे बातें रखी हैं, जिनपर भारत की लोक-सभा, राज्य-सभा और राज्यों की विधान-सभाएं और कौंसिलें सभी विचार करके कानून बना सकती हैं। जैसे—विवाह-शादी के कानून, खाने-पीने

की वस्तुओं में मिलावट करने से रोकने के कानून आदि।

तो भी संविधान बनानेवाले विद्वानों ने लोक-सभा और राज्य-सभा का हाथ ऊपर ही रखा है। ये सभाएं, यदि चाहें तो, समूचे देश के लाभ के लिए या संकट के समय किसी दूसरे भाग के संबंध में भी कानून बना सकती हैं। ये चाहें तो दो या इससे अधिक राज्यों की इच्छा से उनकी सम्मिलित समस्याओं के लिए कानून बना सकती हैं।

इसी प्रकार हमारे संविधान में भारत सरकार को राज्यों की सरकारों के ऊपर रखा है। किसी राज्य की सरकार ऐसी बात नहीं कर सकती, जिससे भारत-सरकार के कामों में रुकावट पड़े। भारत-सरकार चाहे तो अपना कोई काम किसी राज्य की सरकार को सौंप सकती है और वह उसे करना पड़ेगा। फिर राज्यों की सरकारों के आपसी झगड़े, जैसे पानी की बांट के झगड़े भी, भारत-सरकार ही निपटाती है।

राज्यों के काम भी हम लोगों की चुनी हुई विधान-सभाएं और सरकारें ही करती हैं। और सारे देश के साझे काम भी हम लोगों की चुनी हुई सभाएं और सरकारें ही करती हैं। तो भी लोगों के माने हुए संविधान ने भारत की सभाओं——लोक-सभा और राज्य-सभा और भारत-सरकार को——राज्यों की विधान-सभाओं

और सरकारों से ऊंचा दर्जा दिया है।

: ११ :

हमारी आकाश जितनी आत्मा

इस बात में एक भेद है और इस भेद में एक आनंद है। समझ लीजिये कि लोगों में दोहरी आत्मा है। एक तो छोटी और संकरी आत्मा है, जिसे अपना राज्य प्यारा है। दूसरी आत्मा बड़ी है और आकाश-जैसी विस्तृत है, जिसे भारत देश प्यारा है और हम भारत-वासियों ने संविधान बनानेवाले विद्वानों की बात को बड़े प्यार से, बड़ी कृतज्ञता से और दिल-दिमाग से मान लिया है कि हमारी सच्ची आत्मा हमारी भारतवाली आत्मा ही है।

कोई दो हजार साल हुए, हमारे एक ऋषि ने कहा था कि सुख तंग आंगन में नहीं है। सुख तो इस पृथ्वी-जैसे लंबे-चौड़े आंगन में ही है। तभी तो हमने अपनी भारतवाली आत्मा को ही अपनाया है। हमने समझा है कि इसीमें लोगों की भलाई है। इसीमें देश का बड़प्पन है। इसीमें सतजुगी राज का भेद है।

●